

06/10/21  
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प, रूपारोड़ी कला  
शमनगर

क्रमांक: राजस्व/2021/


दिनांक : / /2021

### आदेश

आवेदक श्री हरिनाएरण ने तहसील कोटखावदा में ग्राम चीमापुरा स्थित आराजी ख.न. रकबा के संबंध में जमाबन्दी सम्बत् 2076-79 के खाता संख्या B9 पर अंकित प्रविष्टि दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम चीमापुरा की जमाबन्दी के खाता संख्या B9 की प्रविष्टि के स्थान पर हरिनाएरण 210 भगवान लक्ष्म किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी हल्का शमनगर की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री हरिनाएरण पुत्र श्री भगवान लक्ष्म जाति खरवा निवासी चीमापुरा तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्बत् 2076-79 के खाता संख्या B9 में अंकित प्रविष्टि हरिनाएरण के स्थान पर 210 भगवान लक्ष्म हरिनाएरण 210 भगवान लक्ष्म


किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

  
शिवर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)  
दिनांक : / /2021

क्रमांक: राजस्व/2021/

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार कोटखावदा
2. पटवारी हल्का शमनगर

  
शिवर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)